संख्या– [illegible]/III(2)/10–02([illegible])/2010

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

विषय– **जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र– गंगोत्री के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक– 178/1(144) मा0स0अ0/2010 दिनांक 20–09–2010 द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों हेतु उपलब्ध कराये आगणनों के सापेक्ष की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटेन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 243.85 लाख (₹ दो करोड़ तैंतालीस लाख पिचासी हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 10 कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त एवं सम्बन्धित शासनादेश सं0– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2004 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों तथा मितव्ययिता के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

पत्र० 1979/ 7 व्यवस्था

शा०सं०- 5364/ III(2)/10-02(लो०नि०वि०)/2010 दि० 13 दिसम्बर, 2010 का

संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	टी०ए०सी० विल द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05
01	जनपद उत्तरकाशी में देवीधार-धनारी- फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.25	28.35	0.10
02	जनपद उत्तरकाशी में गुसखगांव से कुलेथ गटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	37.80	0.10
03	जनपद उत्तरकाशी में सेम-मुखेम मोटर मार्ग से सिगुणी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	37.80	0.10
04	जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू-साल्ड मोटर मार्ग से उपला ज्ञानसू बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1.00	12.60	0.10
05	जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी- सिरोर मोटर मार्ग से कुमारगांव - पाव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1.00	12.60	0.10
06	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मुस्टिकसौड़ -कुरोली मो०मा० से संकराली होते हुए किशनपुर तक मो०मा० का निर्माण।	1.50	18.90	0.10
07	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में कोटबंगला से मणियालगांव पाटा तक मो०मा० निर्माण का प्रथम चरण।	3.00	37.80	0.10
08	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में उत्तरपुर बैण्ड से पुराली गांव तक मो०मा० कार्य।	3.00	37.80	0.10
09	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में मिनी स्टेडियम स्थल पहुंच मो०मा० का विस्तार कार्य।	1.00	12.60	0.10
10	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में सेंज -जखोल मो०मा० पर पोखरी से गैरीगांव तक मो०मा० का निर्माण कार्य।	1.00	12.60	0.10
	योग:-	19.75	248.85	1.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव

फोटो प्रति प्रमाणित

[illegible]